

रिविजन क्रमांक / 2014

प्रस्तुति तारीख 18/03/2014

## रा.रा. श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर के समक्ष

R-1015-PBR/14

श्रीमती शकुन्तलाबाई पति श्याम सेन,  
आयु-50 वर्ष, धंधा-गृहकार्य एवं कृषि  
निवासी-शिव धर्मशाला के पीछे, वार्ड क्रमांक 4,  
भिकनगांव, जिला खरगोन {म.प्र.}

रिविजनकर्ता

श्री. मोहन पति रजत  
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 18/03/2014  
को प्रस्तुत

विरुद्ध

1. जगदीश पिता सेडूराम अग्रवाल,  
निवासी-भिकनगांव, जिला खरगोन {म.प्र.}
2. तुलसीराम पिता चरणदास गोण्ड  
निवासी-ग्राम लाहरी जिला बालाघाट {म.प्र.}
3. सरजूबाई पति बलीराम  
निवासी-सगुर तहसील भिकनगांव  
जिला खरगोन {म.प्र.}
4. म.प्र. शासन

विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 {सहपठित धारा 32}

रिविजनकर्ता की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला  
खरगोन द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 336/बी-121/12-13 में दिनांक  
11/02/2014 को दिये गये आदेश से असंतुष्ट होकर एवं माननीय  
अनुविभागीय अधिकारी, भिकनगांव के प्रकरण क्रमांक  
17/बी-14/2012-13 में दिनांक 24/04/2013 को दिये गये आदेश से  
असंतुष्ट होकर यह रिविजन सादर प्रस्तुत है।



21/3/14

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.निगरानी 1015-पीबीआर/2014

जिला-खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-3-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मोहन पाटीदार तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री वी.के.गुप्ता उपस्थित । प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 के फौत हो जाने के बाद कई बार अवसर देने के उपरांत भी दो वर्ष से आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसानों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उनके द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है । अतः यह निगरानी अवेट होने के कारण समाप्त की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष </p>